जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर

क्रमांक :जीवि/परीक्षा-2/गोपनीय/2012/2103 दिनांक : 30.11.2012

प्रति,

(1) प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध शिक्षा महाविद्यालय,
जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर।

(2) विभागाध्यक्ष/समन्वयक,
विश्वविद्यालय अध्ययनशाला,
जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर।

विषयः-बी0एड0 में प्रवेशित छात्र/छात्राओं से अधिक शुल्क लिये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

विश्वविद्यालय को बी0एड0 के विभिन्न महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों से यह सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ महाविद्यालयों द्वारा छात्रों से कम उपस्थिति के नाम पर अधिक शुल्क वसूला जा रहा है जो अवैद्यानिक है। विश्वविद्यालय के द्वारा यह स्थिति स्पष्ट की जाती है कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत निर्मित अध्यादेश-06, जो बी0एड0 परीक्षाओं के लिये भी लागू है, की कंडिका 7 (iii) (iv) के अनुसार सम्बंधित महाविद्यालयों को छात्रों की उपस्थिति तीन अनुसूचियों लिस्ट ए,बी,सी में परीक्षा फार्म भरने की तिथि से तीन सप्ताह पूर्व जमा करना आवश्यक है।

अध्यादेश -06 के प्रावधान निम्नांकित हैं:-

(iii) The Principal of the College or Head of the University Teaching Department or School of studies concerned shall send to the Controller of Examinations at least ten days before the commencement of the examination concerned three separate lists as detailed below

LIST-A

Of those candidates who have attended at least 75 percent both of the lectures delivered and of the practicals held separately in each subject of the course of instructions for the examination (in the case of Faculties of Medicine and Ayurveda, the ward-clinics 85 percent separately and in the case of Faculty of Engineering the minimum shall be 85 percent separately of lectures for each theory paper and for practicals/sessionals,)

LIST-B

Of those candidates whose attended is short by not more than 15 percent for condonation by the Kulpati.The Principal or the Head of the University Teaching Department / School of Studies concerned are required to give specific reasons for condonation of shortage along with their recommendation.

LIST-C

Of those candidate whose shortage of Attendance exceeds 15 percent and who are to be debarred from appearing the examination.

Provided that in case of participation in NSS/NCC/Sports/Youth Festival/Adult Education Camps/Meets/Cultural Teams sponsored or recognized by the University, a maximum of 30 days for State level and 45 days for International level events in one session would be reduced from the denominator (i.e. the total number of teaching days) while working out percentage of attendance for such candidates. Provided further that in case of participation in an International meet the Executive Council shall take appropriate decision in each individual case, keeping in view the merits and circumstances.

उपरोक्त अध्यादेश - 06 की कंडिका (iii) (iv) में दिये गये प्रावधान के अनुसार बी0एड0 कक्षा के लिये किसी भी शिक्षा महाविद्यालय ने आज तिथि तक ऐसी कोई अनुसूचियां/लिस्ट ए,बी,सी जमा नहीं की हैं। अतः कोई भी महाविद्यालय किसी भी छात्र से कम उपस्थिति का हवाला देकर अवैद्य शुल्क की वसूली नहीं कर सकता है अर्थात छात्र की उपस्थिति कम है तो छात्र को स्पष्टतः परीक्षा से वंचित किया जाये। अवैद्य शुल्क वसूली से उपस्थिति पूर्ण नहीं होती है तथा ऐसी अवैद्य शुल्क वसूली का उपस्थिति से कोई सम्बंध नहीं है।

विश्वविद्यालय की ओर से यह अधिसूचना लोकहित व छात्रहित में जारी की जाती है।

कुलसचिव,

-------2

प्रतिलिपि :–

1. सम्पादक -------------- की ओर भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त सूचना को अपने लोकप्रिय समाचारपत्र में छात्र हित में समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा कार्यालय, मोतीमहल,ग्वालियर।
4. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर।
5. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर।
6. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परीषद/सहायक–कुलसचिव(सम्बद्धता/परीक्षा/प्रशासन/गोपनीय) को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

C Shinde

परीक्षा–नियंत्रक